**भारत सरकार**
**गृह मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 1314**
**दिनांक 11 फरवरी, 2025/ 22 माघ, 1946 (शक) को उत्तर के लिए**

**स्टाफ की कमी**

**†1314. श्री हमदुल्ला सईदः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या सरकार को लक्षद्वीप के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की वर्तमान कमी और सेवा-प्रदाय पर इसके प्रभाव की जानकारी है;**
**(ख) यदि हां, तो लक्षद्वीप में विभागों में रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है और इन रिक्तियों को भरने के लिए प्रस्तावित समय-सीमा क्या है;**
**(ग) क्या सरकार ने इस कमी को पूरा करने के लिए पारदर्शी और योग्यता-आधारित भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;**
**(घ) क्या सरकार को लक्षद्वीप में सरकारी कर्मचारियों को वेतन के संवितरण और यात्रा भत्ते (टीए) के भुगतान में विलंब की जानकारी है;**
**(ङ) यदि हां, तो इस विलंब के क्या कारण हैं और वेतन और यात्रा भत्ते का समय पर संवितरण सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और**
**(च) क्या सरकार संवितरण प्रक्रियाओं का पता लगाने और भविष्य में होने वाले विलंब को रोकने के लिए कोई निगरानी प्रणाली स्थापित करने का विचार रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री नित्यानंद राय)**

(क) से (ग): संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप में कर्मचारियों की कुल स्वीकृत संख्या 6015 है, जिसमें से वर्तमान में कर्मचारियों की संख्या 3932 है। रिक्तियों का होना और उन्हें भरना एक सतत प्रक्रिया है। संघ शासित प्रदेश प्रशासन ने भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए लक्षद्वीप कर्मचारी चयन बोर्ड की स्थापना की है।

**लोक सभा अतारंकित प्र.सं. 1314, दिनांक 11.02.2025**

(घ) से (च): संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप के सरकारी कर्मचारियों को वेतन और यात्रा भत्ता (टीए) का भुगतान मौजूदा नियमों के अनुसार नियमित रुप से किया जाता है। इस तरह के वितरण और भुगतान की निगरानी संघ शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा नियमित रुप से की जाती है।

******